तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय बहस पूर्व पेशी को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075 ग्राम रियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1225/1, 1230/1 मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। अगर सहखातेदारी की भूमि मे अगर बिना बंटवाडा बेचान हस्तांतरण होगा तो विवाद बढेंगे व साथ ही प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र मे इन तथ्यो का वर्णन किया है कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि मे बिना बंटवाडा निर्माण कार्य कर रहे है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे इन तथ्यो का उल्लेख किया है कि विवादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व मे पारिवारिक बंटवाडा हो चुका है। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काश्त कर रहे है एवं अपने तथ्यो के समर्थन मे अप्रार्थीगण द्वारा पारिवारिक बंटवाडे की प्रति पेश की है। स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम रियां के खसरा संख्या 1225/1, 1230/1 मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद विद्यमान है अगर विवादग्रस्त भूमि पर कोई भी नया निर्माण, बिना बंटवाडा होगा या बेचान, हस्तांतरण होगा तो वाद बहुलता बढेगी। अत: प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा के संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु पर प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... (जोधपुर)

ा.मु.जा.

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सिद्ध करने मे सफल रहे है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रियां के खसरा संख्या 1225/1, 1230/1 में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे, वादग्रस्त आराजी का विशेष पड़ोस दिखाकर बेचान हस्तांतरण नहीं करेंगे, वादग्रस्त आराजी से एक दूसरे के उपभोग उपयोग में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील शामिल मूल पत्रावली हो।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)